राजस्थान सरकार
वित्त (ई.ए.डी.) विभाग

क्रमांकः एफ.5(थ–75)कोष/DTA/IFMS/e-GRAS/6899-7398, दिनांक 02/02/2016.

विभागाध्यक्ष
समस्त।

विषयः– ऑनलाईन जमा हुए राजस्व के चालानों को विभाग द्वारा डिफेस किए जाने के पश्चात रिफण्ड के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) के तहत ऑनलाईन जमा राजस्व का लेखा ई–कोषालय द्वारा संधारित किया जाता है। इस संबंध में वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के परिपत्र दिनांक 01.11.2012 के बिन्दू संख्या 5 तथा परिपत्र दिनांक 10.09.2013 के द्वारा ई–ग्रास के तहत जमा हुए राजस्व के रिफण्ड की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। परिपत्र दिनांक 10.09.2013 के बिन्दू संख्या 6 के अनुसार "कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी द्वारा जमा राशि की पुष्टि/संतुष्टि किए जाने के पश्चात डिफेस विकल्प के माध्यम से रिफण्ड की जाने वाली राशि को डिफेस किया जायेगा ताकि उक्त राशि के पुनः रिफण्ड की संभावना न हो।

कतिपय प्रकरणों में विभागों द्वारा ई–ग्रास के माध्यम से जमा राजस्व के चालानों को डिफेस किए जाने के पश्चात भी राशि रिफण्ड किए जाने हेतु रिफण्ड बिल तैयार कर संबंधित कोषालय/उपकोषालय को प्रेषित किए जाते है जो कोषालयों/उपकोषालयों द्वारा चालान पूर्व में ही डिफेस कर दिये जाने का ऑब्जेक्शन लगाकर संबंधित विभाग को लौटा दिया जाता है। विभाग द्वारा गलती से चालान डिफेस हो जाने अथवा अन्य उपयुक्त कारण (मय राशि रिफण्ड हेतु जारी सक्षम स्वीकृति) का उल्लेख करते हुए डिफेस हुए चालान से डिफेस हटाये जाने हेतु प्रकरण कोष एवं लेखा विभाग को प्रेषित किये जाते हैं।

इस समस्या के समाधान हेतु डिफेस किए हुए चालानों से डिफेस हटाने हेतु ई–कोषाधिकारी जयपुर को अधिकृत किया गया है। अतः डिफेस किए हुए चालानों की राशि रिफण्ड (पूर्ण अथवा आंशिक) किए जाने हेतु डिफेस हटवाने के संबंध में निम्न दिशा–निर्देश जारी किए जाते है :–

1. डिफेस किए हुए चालान की राशि (पूर्ण अथवा आंशिक) के रिफण्ड हेतु राशि जमाकर्त्ता से आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित कार्यालयाध्यक्ष अपने स्तर पर प्रकरण की पूर्ण जाँच कर ऐसे चालान पर अंकित डिफेस वाटर मार्क को हटवाने (पूर्ण अथवा आंशिक) हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा इस संबंध में वांछित सक्षम स्वीकृति के साथ विभाग में पदस्थापित लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

2. लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी द्वारा संबंधित कार्यालयाध्यक्ष से प्राप्त अभिशंषा के आधार पर राशि राजकोष में जमा होने की संतुष्टि के पश्चात अभिशंषा के परीक्षणोंपरान्त डिफेस वाटर मार्क हटाने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा ई–कोषाधिकारी को प्रेषित की जावेगी।

3. ई–कोषाधिकारी द्वारा इस हेतु उनके लॉगिन में उपलब्ध सुविधा के अनुसार डिफेस हटाने (पूर्ण अथवा आंशिक) की कार्यवाही की जावेगी तथा संबंधित विभाग व कोष/उपकोष को सूचित किया जायेगा।

4. ई–कोषाधिकारी द्वारा हटाये गए डिफेस की रिपोर्ट सिस्टम पर संबंधित कोषाधिकारी/ई–कोषाधिकारी तथा संबंधित विभाग को उपलब्ध होगी।

5. ई–कोषाधिकारी द्वारा हटाये गये डिफेस का अंकन चालान की प्रति पर वाटर मार्क के साथ भी दिया जायेगा।

6. उक्त प्रकरणों में ऑनलाईन आवेदन (विभाग से ई–कोषाधिकारी को) करने की प्रक्रिया भी नियोजित की जायेगी।

अतः उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करने हेतु अधीनस्थ सभी आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देशित करने का श्रम करें।

भवदीय

सिद्धार्थ

(सिद्धार्थ महाजन)
विशिष्ट शासन सचिव
वित्त (बजट)

क्रमांकः एफ.5(थ–75)कोष/DTA/IFMS/e-GRAS/6899-7398. दिनांक 02/02/2016.

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक/सिविल लेखा परीक्षा/वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर
3. समस्त विभागाध्यक्ष
4. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर
5. उपशासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
6. निदेशक कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (जी.एण्ड.टी.) विभाग, सचिवालय, जयपुर
8. अतिरिक्त निदेशक (आई.टी.) वित्त विभाग, सचिवालय, जयपुर
9. ई–कोषाधिकारी, ई–कोषालय, वित्त भवन, जयपुर
10. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी
11. अति. निदेशक(IT) वित्त विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
12. प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, एन.आई.सी. वित्त भवन, जयपुर

संयुक्त शासन सचिव